रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72 REGISTERED NO. D(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 351] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 9, 1979/कार्तिक 18, 1901
No. 351] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 9, 1979/KARTIKA 18, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 1979

सा.का.नि. 615(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिन्दी अनुवादक (वर्ग 3) भर्ती नियम 1967 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम हिन्दी अनुवादक (वर्ग 3) भर्ती (संशोधन) नियम, 1979 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. हिन्दी अनुवादक (वर्ग 3) भर्ती नियम, 1967 की अनुसूची में, स्तम्भ 11 में मद (1) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(1) कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक के पद धारण करने वाले ऐसे पदधारी जिन्होंने उस श्रेणी में राजस्व विभाग में कम से कम तीन वर्ष सेवा कर ली है ।"

[सं. 50/फा. सं. ए-12018/1/79-प्रशा. 1/प्रशा- 1बी]

पी. एल. खन्ना, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th November, 1979

G.S.R. 615(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Hindi Translator (Class III) Recruitment Rules, 1967, namely :—

1. (1) These rules may be called the Hindi Translator (Class III) Recruitment (Amendment) Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Hindi Translator (Class III) Recruitment Rules, 1967, in Column 11, for item (i) the following item shall be substituted, namely :—

"(i) Incumbents holding posts of Junior Hindi Translators who have put in at least 3 years of service in the Department of Revenue in that grade."

[No. 50/F. No. A. 12018/1/79-Ad. I/Ad. IB]

P. L. KHANNA, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1979